कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।

पत्रांक– 1216 / FP/UK/VELEC/28564/2017:देहरादून:दिनांक: 02–11–2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में केन्द्र पोषित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत ग्राम–गेंवाली के विधुतीकरण हेतु 1.50 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 को 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना।

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय का पत्रांक 8बी / यू0सी0पी0 / 09 / 62 / 2017 / एफ0सी0 / 1223 दिनांक 11–10–2017.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, टिहरी के पत्रांक 1768 / 12–1 (2) दिनांक 07–03–2018 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जो निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

1. **शर्त संख्या–1** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले 3.00 है0 ग्राम पंचायत कोट के हरि मटूरी नामे तोक सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 7,59,996.00 मात्र आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।

   क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 3.00 है0 ग्राम पंचायत कोट के हरि मटूरी नामे तोक सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया जा चुका है, म्यूटेशन किये गये भूमि के जिलाधिकारी, टिहरी का आदेश दिनांक 17–11–2017 एवं खसरे खतौनी आदि की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–1)**
2. **शर्त संख्या–2 के** अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 9,85,500.00 आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।
3. **शर्त संख्या–3** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में वृक्षारोपण किया जायेगा। **(संलग्नक–2)**
4. **शर्त संख्या–4** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–3)**
5. **शर्त संख्या–5** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रकरण में उपरोक्तानुसार कुल जमा की गई धनराशि रू0 17,45,496.00 मात्र ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। । **(संलग्नक–4)**

अतः अनुरोध है कि प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

संख्या 1216 / FP/UK/VELEC/28564/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

3. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, टिहरी।
1. अधिशासी अभियन्ता, (परि0) ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0, कांवली रोड़, देहरादून।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

92